



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन 15, गुरुवार, शके 1941-मार्च 05, 2020  
Phalguna 15, Thursday, Saka 1941-March 05, 2020

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 08, 2020

संख्या प.8(ग)(38)नियम/डीएलबी/19/38449 :-विभागीय अधिसूचना क्रमांक 30991 दिनांक 01.08.2019 के द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107 (4) के अन्तर्गत गृहकर एवं नगरीय विकास कर एक मुश्त राशि जमा कराने पर शास्ति में दिनांक 31.12.2019 तक निम्नानुसार छूट प्रदान की गयी थी:-

क्र.सं.	कर का नाम	दिनांक 31.12.2019 तक जमा कराने पर
01.	गृहकर	सम्पूर्ण बकाया गृहकर आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड/भवनों का एक मुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत राशि की छूट एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट।
02.	नगरीय विकास कर	वर्ष 2019-20 तक का एक मुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने पर ब्याज व शास्ति की राशि पर शत-प्रतिशत छूट होगी। जिन प्रकरणों में 8 वर्ष से पूर्व (अर्थात् वर्ष 2011-12 से पूर्व) का नगरीय विकास कर बकाया है उन प्रकरणों में एक मुश्त जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज पेनल्टी की छूट के साथ साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छूट।

जिसकी अवधि दिनांक 31.03.2020 तक बढ़ायी जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,  
उज्ज्वल राठौड़,  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव ।

3105

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।